दिनांक 07.02.2023 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" (DMFT) न्यास परिषद की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

दिनांक 07.02.2023 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार की न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार के द्वारा दिनांक 18.01.2023 को प्रबंधकीय समिति की बैठक में अनुमोदित योजनाओं की अद्यतन स्थिति से बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् बैठक में एजेंडा के अनुसार चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार की न्यास परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गए।

1. सर्वप्रथम प्रभारी पदाधिकारी डी0एम0एफ0टी0, लातेहार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 21–22 में संचालित विभिन्न योजनाओं का विभागवार क्रियान्वित योजनाओं का संक्षिप्त रूप से अवगत कराया गया जो निम्नवत हैः–

कार्यान्वयन एजेंसी	कुल ली गई योजना	प्राक्कलीत राशि	DMF से भुगतान राशि	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा व्यय राशि	योजना की स्थिति पूर्ण	योजना की स्थिति अपूर्ण	अवशेष राशि
कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार।	184	220955314	124389818	111677516	135	49	111702693
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, लातेहार।	10	23003161	20853533	11954214	6	04	2149628
कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार।	10	21807200	9718300	8981552	10	0	12088900
कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार।	19	75387036	35930181	20672851	1	18	39456855
जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार।	4	50204000	45204000	45204000	3	01	5000000
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।	13	36576550	18288275	16095464	10	03	18288275
जिला अभियंता, लातेहार।	2	7834700	5412157	5355983	1	01	2422543
जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार	1	33846000	25384500	25384500	1	0	8461500
एस0सी0एम0एस0, नई दिल्ली।	300	37459382	11237815	11237815	OJT-156 Certification -196 Assesed-263	144	26221567
सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, लातेहार	5	19403879	19403879	19393079	4	01	0
जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार	1	13819190	12351675	12351675	1	0	1467515
कुल :–	549	540296412	328174133	288308649	328	221	227259476

खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची के अधिसूचना संख्या 218 दिनांक–22.03.2016 मे उल्लेखित **PMKKKY** के दिशानिर्देशों के आलोक में पूर्व के न्यास परिषद के द्वारा उच्च प्राथमिक्ता वाले क्षेत्र में 60% एवं अन्य प्राथमिक्ता वाले क्षेत्र में 40% के अनुपात का अनुपालन के विरूद्ध पूर्व में उच्च प्राथमिकता में 28% एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 72% योजनाओं का चयन कर क्रियान्वित की गई।

2. डी0एम0एफ0टी0, लातेहार के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को परिभाषित करने के संदर्भ में डी0एम0एफ0टी0 न्यास परिषद की बैठक में विचार विमर्श किया गया। लातेहार जिला

के संदर्भ में उग्रवादी संगठन खनन क्षेत्रों में आकर धमकाने/फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हुए महुआडांड़, गारू, हेरहंज के घने जंगलों में शरण ले लेते हैं, इसलिए यह करना उचित होगा कि सामाजिक दृष्टिकोण में विकास से लातेहार के गैर खनन क्षेत्र के निवासी भी वामपंथी एवं अन्य उग्रवादी संगठनों के उनके क्षेत्र में उपस्थित रहने से अभी तक भी वंचित रहे हैं और आज भी आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं का इन क्षेत्रों में अभाव है। लातेहार जिला के महुआडांड़, गारू, हेरहंज, बारियातु आदि प्रखण्डों में वामपंथी विचारधारा का प्रभाव बचा हुआ है। प्रायः यह देखा गया है कि देश में इस प्रकार के खनन प्रभावित क्षेत्रों में हीं वामपंथी एवं अन्य उग्रवादी संगठन अपना पांव पसारे हुए हैं। इस प्रकार से घने जंगल वाले क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक दुष्प्रभाव खनन क्षेत्र होने के कारण हो रहा है। उपायुक्त, लातेहार (डी0एम0एफ0टी0) प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा प्रभागीय वन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा सुझाव दिए कि पर्यावरण की दृष्टि से भी गैर खनन प्रखण्ड/क्षेत्र प्रभावित हैं, उक्त दोनों तथ्यों के आधार पर सर्वसम्मति से **न्यास परिषद के सभी सदस्यों** के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, कि लातेहार जिला में गैर–खनन प्रखण्डों के सभी पंचायतों/गॉवों को डी0एम0एफ0टी0 के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाय। जिससे उन क्षेत्रों को भी उपलब्ध राशि के सदुपयोग से विकास करके मुख्य धारा में जोड़ा जा सके।

(अनुपालन :जिला खनन पदाधिकारी–डी0एम0एफ0टी0, डी0एम0एफ0टी0–पी0एम0यू0)

3. "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" (DMFT) की न्यास परिषद की बैठक में चर्चा के क्रम में खनन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों की सूची ग्रामवार/पंचायतवार/ प्रखण्डवार तैयार कराने का निर्णय, PMKKKY के दिशा–निर्देशों के अनुसार, खनन प्रभावित क्षेत्रों के सीधे प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार कराने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान की गई।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, डी0एम0एफ0टी0–पी0एम0यू0)

4. "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" (DMFT) PMU Cell को वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु न्यास परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मती से अनुमोदन प्रदान की गई।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0,,डी0एम0एफ0टी0–पी0एम0यू0)

5. न्यास परिषद् से निर्धारित समय–सीमा पर तैयार वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं इसे पहले तिमाही में स्वीकृति प्राप्त कराने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2022–23 का भी पुराना वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक रिर्पोट लंबित है, इसे भी तैयार कराने का निर्णय सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान की गई।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0,डी0एम0एफ0टी0–पी0एम0यू0)

6. "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" (DMFT) लातेहार न्यास परिषद के द्वारा डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0 सेल, जिला लेखा पदाधिकारी, लातेहार से समन्वय स्थापित कर त्रैमासिक आंतरिक अंकेक्षण नियमिति रूप से कराने का निर्णय सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान की गई।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, एवं जिला लेखा पदाधिकारी, लातेहार)

7. वार्षिक कार्य योजना 2023–24 की न्यास परिषद को उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये। DMFT की विकासशील वार्षिक कार्य योजना DMFT लातेहार के प्रबंधन समिति की बैठक की कार्यवाही के माध्यम से प्रस्तुत की गई, जो 18 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी। जिसमें विभिन्न ग्रामों के ग्राम सभा से अग्रेषित प्रस्तावों को भी प्रस्तुत किए, जिन्हें 18 जनवरी 2023 को आयोजित डी0एम0एफ0टी0 लातेहार के प्रबंधन समिति की बैठक के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24

की संबंधित वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए एकीकृत किया गया था। DMFT लातेहार की वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्य योजना के लिए लातेहार की प्रबंधकीय समिति द्वारा प्रस्तावित सभी प्रस्तावों को न्यास परिषद के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। न्यास परिषद के सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए डी0एम0एफ0टी0 लातेहार की वार्षिक कार्य योजना में PMKKKY दिशा–निर्देशों के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत् उन सभी ग्राम–सभा प्रस्तावों को जोड़ने का भी समिति के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जो मार्च 2023 तक जिले में ग्राम–सभा द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0 एवं जिला लेखा पदाधिकारी, लातेहार)

8. विभिन्न ग्राम–सभा के द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त नेतरहाट क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना को देखते हुए SHG एवं Joint Forest Management Group इत्यादि को आजीविका के साधन पैदा करने के स्त्रोत के रूप में नेतरहाट के पी0वी0टी0जी0, एस0टी0 आदि समूहों को (PVTG-90% एवं ST & Others-80%) प्रतिशत सब्सिडी पर Home Stay / Tree House के निर्माण का लाभ प्रदान करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा लिया गया।

9. विभिन्न ग्राम–सभा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत बारियातू, हेरहंज एवं गारू प्रखण्ड में सी0एच0सी0 निर्माण एवं डी0एम0एफ0टी0 निधि से वैसे स्वास्थ्य केन्द्रों में जहाँ स्टाफ एवं सामग्री की उपलब्धता नहीं है को भारत सरकार के मानक (IPHS) के अनुरूप कार्य करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा दिया गया।

(अनुपालन : अंचल अधिकारी, बारियातू/हेरहंज़ एवं सिविल सर्जन, लातेहार)

10. प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत बहुद्देशीय भवन लातेहार, का मरम्मति तथा नवनिर्मित बहुद्देशीय भवन में शिक्षकों/किसानों/स्वयं सहायता समूह तथा अन्य को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित कराने हेतु आवश्यक मशीनरी/उपकरणों अदि लगाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा दिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

11. नेतरहाट क्षेत्र में जैविक कचरे के संग्रहण एवं पृथक्करण केन्द्र स्थापित कराने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा दिया गया। साथ ही डीपीआर एवं प्राक्कलन तैयार करने के लिए डी0एम0एफ0टी0 सेल एवं कार्यपालक अभियंता PHED को निदेशित किया गया।

(अनुपालन :– जिला परिषद् सदस्य महुआडांड्य/ग्राम पंचायत, नेतरहाट, कार्यपालक अभियंता PHED लातेहार)

12. जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट अंतर्गत क्रियान्वयन की जाने वाली योजनाओं के चयन हेतु ग्राम–सभा को सुदृढ़ करने के लिए प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर PMKKKY Guideline के अनुरूप सभी पंचायत स्तरीय Functionaries का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा दिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0)

13. जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट संबंधित पॉच फोटोग्राफ (कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य प्रगति के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरांत) संचिका में संरक्षित करने हेतु Same Angle Same Location से फोटो प्राप्त कराने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा दिया गया जिसमें योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व प्रस्तावों के साथ अलग–अलग संचिकाएं बनाएंगे। संचिका में निम्नलिखित विवरणी रखेंगे :–

- ग्राम–सभा की संबंधित योजना की पारित कंडिका वाली कार्यवाही की प्रति।

- संबंधित कार्य 05 वर्ष के अंदर किसी अन्य मद से नहीं हुआ है के संबंध में प्रमाण–पत्र (संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के स्तर से)
- 05 फोटोग्राफ
- संबंधित भूमि का विवाद रहित व हल्का कर्मचारी व अंचल निरीक्षक से नक्शा प्रतिवेदित होना चाहिए।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0/ सभी कार्यकारी एजेंसी/सभी अंचलाधिकारी, जिला – लातेहार)

14. डी0एम0एफ0टी0, लातेहार योजनाओं की वर्षवार सूची तैयार करने एवं उनकी योजना संख्या, कार्य प्रारंभ होने की तिथि, कार्य की अवधि, कितने समय से लंबित है, कार्य पूर्ण होने की तिथि और उपयोगिता प्रमाण–पत्र से संबंधित राशि शामिल हो। इस कार्य में विगत वित्तीय वर्ष में संचालित योजनाओं की सूची तैयार की निर्देश दिया गया एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में संचालित योजनाओं की सूची को भी तैयार कराने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा दिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

15. PMU Cell को डी0एम0एफ0टी0 के वेबसाईट में पूर्व से अपलोड डाटा को निरंतर अपडेट कराने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा दिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

16. डी0एम0एफ0टी0 सेल को संचालन हेतु कार्यालय को जीर्णोद्धार करने का आदेश न्यास परिषद द्वारादिया गया। जीर्णोद्धार के उपरान्त GEM Portal/Tender के माध्यम से कम्प्यूटर, टेबल, चेयर एवं कार्यालय चलाने हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय करने का अनुमोदन न्यास परिषद् के द्वारा दिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

17. ग्राम–सभा से प्राप्त ऐसे सभी जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र जो भवन प्रमंडल, लातेहार के द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया हो, वैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों को तत्काल निर्माण/जीर्णाद्धार एवं बच्चों को बैठने/पठन पाठन हेतु BALA का संचालन किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार को संसूचित करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा ली गई।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार एवं भवन प्रमंडल, लातेहार)

18. PMU Cell/डी0एम0एफ0टी0 कोषांग से पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पर काम कराने का अनुमोदन सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा दिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार, प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

19. पूर्व में संचालित PMU TRY के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 का वार्षिक व्यय प्रतिवेदन एवं वार्षिक कार्य योजना का संधारण नहीं किया जाने के कारण TRY को किये गये भुगतान की राशि वापस करने/अंतिम भुगतान करने के पूर्व प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार को संबंधित कंपनी को स्पष्टीकरण करने का निर्णय सर्वसम्मति से न्यास परिषद के द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

20. डी0एम0एफ0टी0 के कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से न्यास परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डी0एम0एफ0टी0 के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों से ली गई योजनाओं को लंबित रखने वाले संवेदकों को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा, क्योंकि ऐसे संवेदक पूर्व के आवंटित योजना के साथ ही नये आवंटित योजनाओं को भी लंबित रखते हैं।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0/सभी कार्यकारी एजेंसी)

21. न्यास परिषद के सभी सदस्यों के द्वारा एक मत से सभी प्रखण्डों में एक बहुद्देशीय भवन निर्माण की अनुमोदन दी गई। साथ ही, सभी अंचल अधिकारी, लातेहार जिला को जमीन संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार / प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0)

22. न्यास परिषद के सभी सदस्यों के द्वारा प्रखण्ड चन्दवा अन्तर्गत नगर भगवती मंदिर, चन्दवा में कूड़ा निस्तारण कराने एवं चढ़ाये गए फुलों से अगरबत्ती निर्माण का ट्रेनिंग दिलाने के साथ–साथ अगरबत्ती प्लांट अधिष्ठापन का सुझाव दिया गया। इस प्रक्रिया में न्यास परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जे0एस0एल0पी0एस0 को वैसे एफ0पी0ओ0 / पी0जी0 / एस0एच0जी0 को चयन करें, जो अगरबत्ती निर्माण इकाई स्थापित करने हेतु अपने स्तर से स्वयं की राशि / ऋण की सुविधा प्राप्त कर अनुपात 20 % लाभार्थी अंशदान हेतु योगदान कर सके। इससे वे उस प्लांट के रख–रखाव में ज्यादा रूचि लेंगे।

(अनुपालन : डी0पी0एम0, जे0एस0एल0पी0एस0, लातेहार)

23. न्यास परिषद के सभी सदस्यों के द्वारा लातेहार जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों में ओल्ड ऐज होम बनाने हेतु अगली बैठक के पूर्व प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन : डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0 / सभी अंचलाधिकारी लातेहार जिला)

24. जन–प्रतिनिधियों के द्वारा कई सारे स्कूल जो अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है वैसे स्कूलों को ग्राम–सभा से पारित कर विभाग से अनुमति लेते हुए डी0एम0एफ0टी0 से कराने का निर्णय न्यास परिषद के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ली गई।

अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उप विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।

ज्ञापांक 215(1)/**डी0एम0एफ0टी0 दिनांक** 07/**02/2023**

प्रतिलिपि :– डी0एम0एफ0टी0 प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार / महुआडांड / जिला खेल पदाधिकारी / जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी कार्यकारी एजेंसी, लातेहार जिला / डी0पी0एम0, जे0एस0एल0पी0एस0, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उप विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।